


आवेदन क्रमांक

आवेदन प्रपत्र मूल्य रु. 500.00

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

ग्वालियर शहर में मार्ग क्रमांक 05 के लिए
साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु
ई—निविदा प्रपत्र
वर्ष 2021—24



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मन्दिर, ग्वालियर—474005
दूरभाष — 0751—2365523, 2368107

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

गोला का मंदिर, ग्वालियर, फोन नम्बर 0751-2365523, 2368107

साँची
लोगो

साँची वितरक सह-परिवहनकर्ता हेतु ई-निविदा सूचना प्रथम आमंत्रण

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के डेयरी संयंत्र बानमौर से ग्वालियर शहर में विपणन मार्ग क्रमांक 05 पर साँची दूध के विक्रय हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता नियुक्त करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों/पार्टियों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	निविदा का संक्षिप्त विवरण	कार्य अवधि	वाहन का प्रकार एवम् मॉडल	वाहन की क्षमता	ई.एम.डी. राशि
1.	वितरक सह-परिवहनकर्ता, ग्वालियर मार्ग क्रमांक-05	3 वर्ष	इन्सुलेटेड वाहन 2015 या बाद का	न्यूनतम 2.5 टन	50,000/-

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन वेबसाईट [http:// www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से क्य कर ऑनलाईन भरें जा सकते हैं। निविदाओं का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर देखा जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
रेजीडेन्सी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर (म. प्र.)

साँची वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा प्रपत्र

क्रं	विवरण	वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु
1-	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय एवं जमा करने की प्रारंभ तिथि एवं समय	दिनांक 10.08.2021 दोपहर 02:00 बजे से
2-	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 31.08.2021 दोपहर 02:00 बजे
3-	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 01.09.2021 दोपहर 02:00 बजे
4-	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ई.एम.डी. राशि रूपये 50,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
5-	निविदा प्रपत्र का मूल्य	रूपये 500/- (पांच सौ मात्र)
6-	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर
7-	दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें एवं तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप।	प्रपत्र 01 एवं 02 लिफाफा 'B'
8-	"भाव पत्र/दरें" प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र-03 (केवल ऑनलाईन भरें)
9-	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र - 04

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- E.M.D. की ऑनलाईन पेमेंट की रसीद भौतिक रूप से अलग लिफाफा में रखें, जिस पर लिफाफा "A" लिखा जावे।
- प्रपत्र क्रमांक 1 "तकनीकी अर्हताएं" तथा प्रपत्र क्रमांक 2 "निविदा की शर्तें" एक ही बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जावे एवं लिफाफे पर लिफाफा "B"-प्रपत्र 1 "तकनीकी अर्हताएं" एवं प्रपत्र 2 निविदा की शर्तें लिखा जावे।
- धरोहर राशि (E.M.D.) पर लिफाफा "A" तथा तकनीकी लिफाफा "B" ऑनलाईन अपलोड करने के साथ-साथ भौतिक रूप से एक साथ एक अन्य लिफाफे में बंद कर कार्यालय में ऑनलाईन निविदा खोले जाने के पूर्व जमा की जाए।

- लिफाफा "A" तथा लिफाफा "B" में चाही गई जानकारी के प्रमाण स्वरूप समस्त दस्तावेजों की स्केन कॉपी ऑनलाईन अपलोड करना होगी । पहले "तकनीकी अर्हताएँ" तथा निविदा शर्तों का लिफाफा खोला जावेगा । तकनीकी अर्हताएँ में सफल निविदाकर्ताओं की ही ऑनलाईन प्राप्त दरें खोली जावेगी । निविदाकार लिफाफे के ऊपर अपना नाम एवम् पता स्पष्ट रूप से अंकित करें । प्रपत्र क्रमांक 2 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जाएगी ।
- प्रपत्र 3 लिफाफा "C" जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा ।

न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

क्रमांक	विवरण	विवरण जानकारी	विवरण
	अनिवार्य अर्हताएँ—		
1	अपना परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा । स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो ।		निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र क. 03 को ऑनलाइन भर कर अपलोड करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुख्तारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपराईटर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है ।
2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपराईटर शिप) की स्थिति में मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए ।		निविदाकार स्वामित्व प्रोपराईटरशिप) की स्थिति में मध्य प्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण—पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा होना चाहिये ।		तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा करने की रसीद संलग्न करें।
4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो ।		आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
5	वित्तीय वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 एवम् 2019–20 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो ।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
6	जी.एस.टी. नम्बर		जी.एस.टी. नम्बर की छाया प्रति/आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें।
7	उपलब्ध वाहन का प्रकार मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें। नया वाहन क्रय करने की स्थिति में रु0 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।
8	बैंक का नाम व खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छाया प्रति लगावें।
9	निविदा शुल्क जमा किया हो ।		निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डानलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न करें।
10	निविदाकार का FSSAI का लायसेंस होना आवश्यक है।		FSSAI लायसेंस/आवेदन की स्वप्रमाणित छायाप्रति
11	निविदाकार एम.पी.सी.डी.एफ./अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है इस बाबत का रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।		रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।

12	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालन मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। (इस बाबत् का रु0 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
13	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस बाबत् रु0 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र		रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
14	दूध, दुग्ध पदार्थ या अन्य FMCG व्यवसाय का अनुभव		लेटर हेड पर स्वयं का प्रमाणित वचनपत्र प्रस्तुत करें।

नोट-

1. उक्त दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की सकेगी।
- 4— निविदा दस्तावेज का ऑनलाईन क्या—

निविदा प्रपत्र (टेंडर डाक्युमेन्ट) वेबसाइट <http://www.mptenders.gov.in> पर निविदा दस्तावेज के मूल्य की राशि ऑनलाईन भुगतान कर क्य की जा सकती है।

निविदा फार्म पर हस्ताक्षर:

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

क्रमांक	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति डिजीटल हस्ताक्षर से ही निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे)
1—	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं या उसका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2—	भागीदारी फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3—	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रपत्र क्रमांक—01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

महोदय,

दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु दिनांक को समाचार पत्र / www.mptenders.gov.in में प्रकाशित ई—निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की भौतिक रसीद क्रमांक.....दिनांक..... संलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएँ

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1—	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र / प्रमाण पत्र
2—	यदि कोई पार्टनर हों तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3—	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल / मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4—	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो ।		आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
5—	वित्तीय वर्ष 2017–18, वर्ष 2018–19 एवम् 2019–20 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो ।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छाया प्रति ।
6—	जी.एस.टी. नम्बर		जी.एस.टी. नम्बर की छाया प्रति/आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें ।
7—	उपलब्ध वाहन का प्रकार मॉडल, क्षमता तथा पंजीयन क्रमांक स्वयं का/संस्था के नाम पर पंजीकृत होना आवश्यक है। नया वाहन खरीदने की स्थिति में तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें ।		उपलब्ध वाहन के पंजीयन की प्रति संलग्न करें। नया वाहन क्रय करने की स्थिति में ₹0 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें ।
8—	बैंक का नाम व खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छाया प्रति लगावें ।
9—	निविदा शुल्क जमा किया हो ।		निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाईट से डानलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क की e-payment के माध्यम से जमा रसीद की छाया प्रति संलग्न करें ।
10	निविदाकार का FSSAI का लायसेंस होना आवश्यक है।		FSSAI लायसेंस/आवेदन की स्वप्रमाणित छायाप्रति
11	निविदाकार एम.पी.सी.डी.एफ./अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है इस बाबत् का रूपये 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र संलग्न करें।		रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।

12	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालन मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं हैं। (इस बाबत् का रु0 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
13	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। इस बाबत् रु0 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र		रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।
14	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा होना अनिवार्य है।		तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा करने की रसीद सलंगन करें।
15	दूध, दुग्ध पदार्थ या अन्य FMCG व्यवसाय का अनुभव		लेटर हेड पर स्वयं का प्रमाणित वचनपत्र प्रस्तुत करें।
16	दुग्ध संघ के साथ पूर्व किए गए व्यवसाय का विवरण।		विवरण प्रस्तुत करें।
17	एम.पी.सी.डी.एफ. या अन्य दुग्ध संघ से व्यवसाय की कोई राशि एवं केन/केट बकाया नहीं होना चाहिए।		रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नोटराइज्ड कराकर संलग्न करें।

- नोट :-1— उक्त समस्त दस्तावेजों की स्केन कापी ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य है तथा निविदा खोले जाने के समय मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है ।
- 2— उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी ।

हस्ताक्षर.....

निविदाकार का नाम

पता

.....

पिन कोड़ नम्बर

फोन नम्बर

मोबाईल नम्बर

ई—मेल पता

सॉची दृग्ध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें :-

- 1— दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्ता हेतु निविदा ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर को नियत दिनांक को समय सीमा मे प्राप्त हो जाना चाहिये ।
- 2— निविदाकार द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर यह समझा जावेगा की उनके द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता निविदा हेतु दी गई विभिन्न सूचनाओं, शर्तों एवम् अनुबंध आदि का भलीभांति अध्ययन कर लिया गया है एवम् निर्धारित मार्ग की जानकारी से स्वयं को अवगत करा लिया गया है ।
- 3— निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है ।
- 4— निविदाकार कितने भी मार्ग पर निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु अधिकतम दो मार्गों पर ही कार्य दिया जा सकेगा । निविदा कार्यवाही के दौरान किसी भी निविदाकार की अधिकतम दो मार्गों पर न्यूनतम दर प्राप्त होने एवं निविदा स्वीकृत होने पर आगामी मार्गों के लिए सम्पादित होने वाली निविदा कार्यवाही में ऐसे निविदाकारों की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । वर्तमान में कार्यरत वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उन्हें वर्तमान में आवंटित मार्ग सहित अधिकतम दो मार्ग पर ही कार्य करने की पात्रता होगी ।
- 5— यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दर प्रस्तुत की जाती है तो प्रथमतः नवीनतम माडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी । परन्तु एक समान परिस्थिति में निविदा दर समान होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा ।
- 6— निविदाकार के पास स्वयं का वर्ष 2015 या बाद का निविदा में निर्धारित क्षमता का इन्स्यूलेटेड वाहन (थर्मोकोल हैवी डेन्सिटी 2 इंच या पफ इन्स्यूलेशन 2 इंच) होना आवश्यक है । यदि निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करते समय इन्स्यूलेटेड वाहन उपलब्ध नहीं है तो निविदा स्वीकार होने की दिनांक से 30 दिन अवधि में इन्स्यूलेटेड बॉडी बनवाकर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रबन्ध पक्ष का निर्णय अन्तिम होगा । वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर संघ कार्यालय में जमा करानी होगी । वितरण वाहन मे जी.पी.एस.सिस्टम लगवाना होगा । नया वाहन क्य करने की दशा में शपथ—पत्र देना होगा एवं निविदा स्वीकृति दिनांक से 30 दिवस में निविदा में निर्धारित क्षमता का नवीन वाहन इन्स्यूलेटेड बॉडी का उपलब्ध कराना होगा । वितरण कार्य आरम्भ करने के पूर्व संघ कार्यालय को वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों एवम् वाहन का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा कराना होगी ।
- 7— निविदाकार आवेदक को उसके द्वारा वर्तमान में किये जा रहे व्यापार का टर्न ओवर के सम्बन्ध में विवरण (दस्तावेजी प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करना होगा ।
- 8— निविदाकार के पास जी.एस.टी. नम्बर होना अथवा जी.एस.टी. नम्बर हेतु आवेदन करने का साक्ष्य आवश्यक है ।
- 9— निविदाकार आवेदक को निविदा के साथ ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के खाते में रूपये 50,000.00 ऑनलाईन डिजीटल पेमेंट के द्वारा ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा एवं उसकी रसीद भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा । ई.एम.डी. जमा न

- करने की स्थिति में निविदाकार की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी ।
- 10— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को शीतलीकरण सहित दूध के भंडारण की व्यवस्था करना आवश्यक है ।
- 11— निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा ।
- 12— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में निविदाकार को निर्धारित प्रतिभूति राशि (Security Deposite) संघ में 15 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य है । Security Deposite रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) ग्वालियर दुग्ध संघ के बैंक खाते में तथा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित ग्वालियर के नाम की रु. 3,00,000/- (रु. तीन लाख) की ज्वाईन्ट एफ.डी.आर. ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पक्ष में डिस्चार्ज कराकर जमा करना अनिवार्य है । निर्धारित अवधि में Security Deposite जमा न करने पर अर्नेस्टमनी रु. 50,000/- (रु. पचास हजार) राजसात की जा सकेगी । नगद प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।
- 13— वितरक सह परिवहनकर्ता को 50 चैक की पूर्व हस्ताक्षरित, रेखांकित चैक बुक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है । वितरक को दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की सम्पूर्ण राशि RTGS/NEFT द्वारा प्रतिदिन संघ खाते में जमा करना अनिवार्य होगा तब ही दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सम्भव होगी ।
- 14— वितरक सह परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम(एफ.एस.एस.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवम् लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा । लाईसेन्स की छाया प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना होगा ।
- 15— निविदा प्रपत्र के साथ आवेदक निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जावेगा ।
- 16— आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से ही दर नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा ।
- 17— निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ निर्धारित प्रपत्र अनुसार रूपये 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
- 18— किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
- 19— निविदाकार द्वारा दरें वर्तमान में प्रभावशील डीजल दरों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत की जाए । अनुबंध अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसका प्रभाव वितरक सह परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दर में समानुपातिक रूप से प्रभावशील किया जाएगा ।
- 20— निविदा प्रपत्र के साथ संघ के साथ किये जाने वाला अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्त आवश्यक रूप से पढ़ कर समझ लें ।

- 21— निविदा स्वीकृति के उपरान्त वितरक सह परिवहनकर्ता की कार्य अवधि कार्य आदेश दिनांक से तीन वर्षों के लिये प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में सन्तोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु आपसी सहमति से और बढ़ाई जा सकेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सहपरिवहनकर्ता का कार्य उक्त अवधि में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर कार्य आवंटन निरस्त करते हुए पुर्णनिविदा आमंत्रित करने हेतु दुग्ध संघ स्वतंत्र रहेगा।
- 22— अनुबंध अवधि में किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय अनिवार्य रूप से करना होगी। इस हेतु संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाएगी। इसका संघ द्वारा पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 23— निविदा में उल्लेखित सभी औपचारिकताओं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जाकर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।
- 24— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों को स्वयं उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके निकटस्थ रिश्तेदारों एवम् सुरक्षा ठेकेदार/श्रमिक ठेकेदार को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- 25— संघ में जो वितरक वर्तमान में कार्यरत् हैं यदि उनके द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती हैं तो निविदा खुलने के दिन उनके ऊपर कोई भी राशि बकाया होने पर उनकी निविदा अमान्य की जावेगी। पूर्व में जिन वितरक सह परिवहनकर्ताओं का कार्यकाल दुग्ध संघ में सन्तोषजनक (यथा भुगतान में विलंब, पूर्व का कोई बकाया होना, वितरण में अनियमितता की गंभीर शिकायतें होना आदि) नहीं रहा है उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 26— कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में दुग्ध संघ, एम.पी.सी.डी.एफ. एवं एम.पी.सी.डी.एफ. के अधीन अन्य दुग्ध संघों की नियम शर्तों का उल्लंघन करने के कारण कार्य से पृथक अथवा ब्लैक लिस्ट किया गया हो। इस बाबत् उल्लेख वचन पत्र भरकर देना अनिवार्य होगा।
- 27— संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को वितरक मार्जिन 20 पैसे प्रति लीटर देय होगा (अन्य व्यय देय नहीं होगा)। प्रपत्र 3 में केवल परिवहन दर प्रति लीटर अंकित की जावे। वितरक मार्जिन में यदि संघ द्वारा वृद्धि की जाती है तो जिस दिनांक से निर्णय/आदेश जारी किया जावेगा उस दिनांक से बढ़ी दर से वितरक मार्जिन देय होगा।
- 28— निविदा में उल्लेखित दस्तावेजों/लाइसेन्स आदि के अतिरिक्त भविष्य में यदि शासन द्वारा कोई कर/लाइसेन्स/कानून प्रभावशील किये जाते हैं तो ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराने होंगे/पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।
- 29— संघ द्वारा नैरोलाईन वितरक नियुक्त करने पर वितरक सह-परिवहनकर्ता को नैरोलाईन वितरक को प्रथमतः ही उसके नियत/संघ द्वारा निर्देशित स्थल पर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा। जिस पर निविदा में स्वीकृत परिवहन दर पर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद के प्रति लीटर/किलो ग्राम मान के आधार पर देय होगा।

मेरे/हमारे द्वारा सॉची दूध वितरक सह परिवहनकर्ता की निविदा एवं अनुबंध की शर्त पढ़ व समझ ली गई है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/ हैं । निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं । यदि मेरे/हमारे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं/हम बिन्दु क्रमांक 01 से 29 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ/करते हैं एवं मेरी/हमारी अर्नेस्टमनी राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं/हम इस हेतु सहमति देता हूँ/देते हैं ।

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम
पता
फिन कोड नम्बर
फोन नम्बर
मोबाइल नम्बर –
ई-मेल पता—

साँची वितरक सह परिवहनकर्ता ग्वालियर मार्ग क्रमांक 01 हेतु दर प्रपत्र :-

वित्तीय बिड (केवल ऑनलाईन ही भरें) प्रारूप केवल देखने हेतु

क्रमांक	विवरण	प्रस्तावित दर (रुपये / पैसे) प्रति लीटर	
		अंकों में	शब्दों में
1	परिवहन दर		
2	वितरक मार्जिन	20 पैसे	बीस पैसे
	कुल मार्जिन (1+2)		

नोट:- यदि दो या दो से अधिक निविदाकारों द्वारा एक समान दर प्रस्तुत की जाती हैं तो प्रथमतः नवीनतम माडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। परन्तु एक समान परिस्थिति में निविदा दर समान होने पर चयन लॉटरी के आधार पर किया जावेगा।

वितरक सह—परिवहनकर्ता अनुबंध (ग्वालियर शहर)

यह अनुबंध आज दिनांक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध मर्यादित, गोला का मंदिर ग्वालियर जिसे आगे दुग्ध संघ के नाम से सम्बोधित किया जावेगा, एवं मैसर्स/श्री.....ग्वालियर द्वारा पार्टनर श्री.....से बतौर दूध के वितरक सह परिवहनकर्ता की हैसियत से दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक के लिए दिनांक से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबन्धित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर वितरक सह—परिवहनकर्ता के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। इस अनुबन्ध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दुग्ध संघ व वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य सम्पादित करेंगे।

- 1— यह अनुबन्ध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत वितरक सह परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ का होगा। यदि वितरक सह—परिवहनकर्ता इस अनुबन्ध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य छोड़ने बाबत देना होगा।
- 2— वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा दुग्ध संघ के पास राशि रूपये 2,00,000/- (रु. दो लाख) संघ के बैंक खाते में या डी.डी. द्वारा रु. 3,00,000/- (रु. तीन लाख) की ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के संयुक्त नाम की हस्ताक्षरित फिक्स डिपॉजिट ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के पक्ष में डिस्चार्ज कराकर बतौर Security Deposite जमा कराई जावेगी। दुग्ध संघ में नगद या डी.डी. द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- 3— वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा संघ में जमा की गई Security Deposite, वितरकशिप अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद Security Deposite वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
- 4— वितरक सह—परिवहनकर्ता कार्य हेतु वितरक सह—परिवहनकर्ता के पास भार क्षमता न्यूनतम टन का इन्स्यूलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- 5— निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वितरक को संघ में रूपये 100/- नाम मात्र के शुल्क जमा कर सदस्यता प्राप्त करना होगी।
- 6— वितरक सह—परिवहनकर्ता को वितरण कार्य आरम्भ करने से पूर्व संघ कार्यालय में वाहन के पंजीकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों पंजीकरण, परमिट, फिटनेश आदि का निरीक्षण संघ के सक्षम अधिकारियों को कराना आवश्यक होगा तथा इन दस्तावेजों की एक छाया प्रति संघ कार्यालय में जमा करनी होगी।
- 7— वितरक सह परिवहनकर्ता की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में वितरक सह—परिवहनकर्ता द्वारा वाहन पंजीकरण से सम्बन्धित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण वश वितरक सह परिवहनकर्ता संघ से अनुबन्धित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है, तो इस हेतु संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना वितरक सह—परिवहनकर्ता का दायित्व होगा।

- 8— वितरक अपने वाहन का बीमा, मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तथा कार्यरत ड्रायवर एवं परिचारक, क्लीनर का बीमा कराकर Update रखेगा। अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर Security Deposite राजसात की जा सकेगी। (वाहन के संचालन के दौरान कोई दुर्घटना, जनहानि आदि होने की स्थिति में दुग्ध संघ जबाव देह नहीं होगा)।
- 9— वितरक की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने वाहन का परमिट, बीमा, फिटनेश मोटरयान अधिनियम में प्रावधानों के अन्तर्गत अद्यतन रखे अन्यथा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकेगा।
- 10— वितरक सह परिवहनकर्ता को वाहन चालक एवं लेबर का नाम व पता संघ को लिखित में सूचित करना होगा।
- 11— वितरक सह परिवहनकर्ता को प्रत्येक मार्ग के वाहन चालक के अतिरिक्त एक लेबर लोडिंग/अनलोडिंग हेतु आवश्यक रूप से रखना होगा। एक ही लेबर से एक से अधिक मार्ग के वाहनों में लोडिंग/अनलोडिंग करते पाये जाने पर रूपये 100/- (सौ रूपये) प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जावेगा। अधिकृत वाहन चालक एवम् परिचारक के अतिरिक्त किसी बाहरी व्यक्ति को वाहन में नहीं लाया जावेगा, ऐसा पाये जाने पर प्रति व्यक्ति प्रति प्रकरण रूपये 500/- (पाँच सौ रूपये) वसूल किये जा सकेंगे।
- 12— वितरक सह परिवहनकर्ता को खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम (एफ.एस.एस.ए.आई.) के अन्तर्गत पंजीकरण कराना एवम् लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाईसेन्स की छाया प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 13— वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ को जमानत बतौर पूर्व हस्ताक्षरित रेखांकित चैक बुक (दुग्ध संघ के हित में) दुग्ध संघ कार्यालय में अग्रिम जमा कराना अनिवार्य है। वितरक को दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की सम्पूर्ण राशिप्रतिदिन (सुबह-शाम मिलाकर) RTGS/NEFT द्वारा प्रतिदिन संघ खाते में जमा करना अनिवार्य होगा तब ही दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की प्रदायगी सम्भव होगी। प्रतिदिन RTGS/NEFT द्वारा दुग्ध संघ के खाते में जमा राशि की पुष्टि हेतु UTR नं. विपणन शाखा के सक्षम अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे इंटरनेट बैंकिंग की सर्वर डाउन होने अथवा लेनदारी लम्बित होने आदि की स्थिति में वितरक सह-परिवहनकर्ता की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) चैक बैंक में प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु वितरक को अपने बैंक खाते में पर्याप्त धन राशि रखना होगी ताकि चैक अनादरित न हो यदि प्रदायित माल के मूल्य एवम् प्राप्त राशि में कोई अन्तर रहता है या घट-बढ़ होती है तो उसका समायोजन आगामी दिन के भुगतान में करना होगा।
- 14— वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ के द्वारा बताये गये बैंक में जैसे— एस.बी.आई. बैंक एवम् एच.डी.एफ.सी. बैंक में ही खाता खोलना वांछनीय होगा एवम् उसी खाते की रेखांकित चैक बुक (दुग्ध संघ के हित में) उपलब्ध कराये जावेंगे।
- 15— वितरक सह-परिवहनकर्ता के किसी भी चैक के अनादरित होने पर चैक की मूल राशि के साथ-साथ अर्थदंड की राशि रु. 1000.00 वितरक सहपरिवहनकर्ता द्वारा जमा करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- 16— वितरक के खाते में लम्बित राशि की वसूली हेतु बैंक में जमा किये गये चैक यदि कई बार अनादरित होते हैं, दुग्ध संघ द्वारा वितरक को सचेत करते हुए अंतिम चेतावनी जारी की जाएगी। तदपश्चात् यदि इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है तो संबंधित वितरक को सूचित करते हुए उसका कार्य आवंटन आदेश तत्काल निरस्त किया जा सकेगा।
- 17— बैंक की तकनीकी कारणों या सर्वर डाउन होने के कारणवश अनादरित हुए चेकों का बैंक द्वारा लेटर हेड पर विवरण लिखित में उपलब्ध कराने पर संघ द्वारा अर्थदण्ड नहीं वसूला जावेगा।

- 18—राशि जमा न होने की स्थिति में दुग्ध संघ वितरक पर कानूनी कार्यवाही मय हर्जे—खर्चे के करने हेतु स्वतंत्र होगा या बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होवेगा या उसके द्वारा संघ में जमा Security Deposite/बैंक ग्यारंटी/संयुक्त नाम फिक्स डिपॉजिट से अलग—अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा ।
- 19—वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा मार्ग क्रमांक पर स्थित सॉची दूध निर्धारित विक्रय केन्द्रो (जिनकी संख्या दुग्ध संघ द्वारा समय —समय पर घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं) पर ग्वालियर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में विक्रय केन्द्रों के माध्यम से विपणन व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । जो कि बानमौर डेयरी प्लाट बानमौर से आखिरी पाईन्ट तक अधिकतम तीन घन्टे होगी । निर्धारित समय —सीमा में दूध वितरण सम्पन्न नहीं किये जाने पर रुपये 50/- (पचास रुपये) प्रति घन्टा की दर से अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा एवम् कोई रिटर्न स्वीकार नहीं किया जावेगा । यदि किसी प्राकृतिक/अप्रत्याशित घटना/प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप विलम्ब होता है तो ऐसी स्थिति में संघ द्वारा प्रकरण पर वस्तुस्थिति के दृष्टिगत् निर्णय लिया जावेगा । वितरक सह परिवहनकर्ता के स्वयं के स्तर पर किसी कारण से वितरण में विलम्ब होता है एवम् उसके कारण दूध की गुणवत्ता प्रभावित होती है तो ऐसे दूध की सम्पूर्ण राशि वितरक सह परिवहनकर्ता से वसूल की जावेगी । वितरक सह परिवहनकर्ता अन्य मार्गों के विक्रय केन्द्रों पर वितरण नहीं करेगा । यदि ऐसा पाया जाता है तो रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) का अर्थदण्ड प्रतिदिन आरोपित किया जा सकेगा ।
- 20—वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित वितरक मूल्य पर सॉची दूध एवम् दुग्ध उत्पाद एक्स डेयरी डाक बानमौर संयंत्र पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भूकम्प आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ वितरक की मांग अनुसार उसे सॉची दुग्ध उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ किसी भी तरह के हर्जाने के भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा ।
- 21—वितरक सह परिवहनकर्ता को डेयरी डाक से प्राप्त किये गये सॉची दूध का विपणन कार्य सिर्फ इन्स्यूलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष दुग्ध संघ निर्धारित करेगा, के द्वारा ही करना अनिवार्य होगा । वितरण वाहन में वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जी.पी.एस.सिस्टम लगाया जाना होगा अन्यथा दुग्ध संघ द्वारा वितरण वाहन में जी.पी.एस.सिस्टम लगाया जाकर उसकी राशि का कटौत्रा वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जा सकेगा । निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दूध की मांग होने पर सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ प्रबंधन के निर्देशानुसार उपयुक्त क्षमता के अतिरिक्त इन्सुलेटेड वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय अनिवार्य रूप से करना होगी । इस हेतु संघ द्वारा स्वीकृत परिवहन दर ही मान्य की जाएगी । इसका संघ द्वारा पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा ।
- 22—ग्वालियर शहर मार्ग क्रमांक.....पर श्री.....वितरक सह परिवहनकर्ता के रूप में ..
.....पैसे प्रति लीटर परिवहन दर, वितरक मार्जिन रुपये 0.20 प्रतिलीटर कुल योग रु0...
.....प्रतिलीटर पर कार्य करेंगे ।
- 23—यदि वितरक सह परिवहनकर्ता की वाहन डेयरी में नहीं आती है एवम् उसके द्वारा अन्य मार्ग की वाहन से दूध ले जाया जाता है तो केवल 20 पैसे प्रति लीटर वितरक मार्जिन का ही भुगतान किया जावेगा । इस मार्ग हेतु उस दिन का परिवहन व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

- 24— वितरक सह परिवहनकर्ता एजेन्सी/दूध/पार्लर की दूध एवं दुग्ध पदार्थों की मांग अनुसार पूर्ण रूप से प्रदायगी दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित रिटेलर दर पर ही करेगा। एजेन्सी/दूध/पार्लर की मांग वितरक या उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मचारी अपने मर्जी से नहीं घटायेगे/बढ़ायेगे।
- 25— संघ द्वारा नैरोलाईन वितरक नियुक्त किये जाने की स्थिति में वितरक सह—परिवहनकर्ता को प्रथमतः ही उसके नियत/संघ द्वारा निर्देशित स्थल पर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद प्रदाय करना होगा। जिस पर निविदा में स्वीकृत परिवहन दर दूध एवम् दुग्ध उत्पाद पर प्रति लीटर/किलो ग्राम मान के आधार पर देय होगा।
- 26— वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक को संघ द्वारा उसकी मांग अनुसार प्रदाय किये गये सम्पूर्ण दूध/दुग्ध उत्पाद को सुरक्षित स्थिति में डेयरी संयंत्र बानमौर से लाकर ग्वालियर शहर में दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित एक स्थान पर निर्धारित समय में प्रदान कर नैरोलाईन वितरक से पावती प्राप्त करना होगा। डेयरी संयंत्र बानमौर से नैरोलाईन वितरक के प्रदाय किये गये दूध/दुग्ध उत्पाद के पैकिटों में किसी भी कमी के लिये वितरक सह परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से जबाबदेह होगा एवम् कम प्रदाय किये गये दूध एवम् दुग्ध उत्पाद की राशि का कटौत्रा सम्बन्धित वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जावेगा। पुनरावृत्ति होने पर अर्थदण्ड रु. 500.00 प्रतिबार भी अधिरोपित किया जा सकेगा।
- 27— वितरक सह परिवहनकर्ता दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्र से मांग अनुसार दुग्ध पैकिट छाटकर, गिनकर, जांच कर ग्रहण करेगे एवम् प्राप्ति देगे, तत्पश्चात् लीकेज, कमी इत्यादि के लिये दुग्ध संघ जिम्मेवार नहीं होगा। दुग्ध प्रदाय उत्पादन में होने वाली लीकेज हानि की जिम्मेवारी वितरक की होगी किसी भी प्रकार की वापसी मान्य नहीं की जावेगी। यदि गुणवत्ता, पैकिंग या अन्य आकस्मिक कारणों से कोई दूध वापसी होती हैं तो दोनों पक्ष, आपसी सहमति से उसका निराकरण करेगे। वितरक वापसी दूध की गुणवत्ता स्वयं अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के सामने चैक करा सकता हैं बाद में संघ द्वारा मान्य की गयी मात्रा एवम् गुणवत्ता ही मान्य होगी।
- 28— यह कि प्रत्येक माह के अन्त में उभय पक्ष दूध प्रदाय एवम् उसकी राशि का हिसाब किताब का मिलान करेंगे एवम् माह के अन्तिम तारीख पर जो भी राशि लेना शेष रहती हैं, वह वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा जमा कराई जायेगी। वितरक द्वारा मिलान न करने पर संघ अनुसार जो राशि लेना देना निकलती हैं, वह मान्य होगी।
- 29— वितरक सह परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ से प्राप्त सम्पूर्ण केटस/केन्स आदि उसी दिन संघ द्वारा निर्धारित समय पर डेयरी संयंत्र में जमा कराना होगा एवम् उसका पूर्ण लेखा — जोखा रखेगा तथा इसकी पूर्ण वापसी हेतु जबाबदार रहेगा। केन/केटस का लेखा — जोखा प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में मिलान करना होगा प्रत्येक 15 दिवस के अन्त में केन/केटस बकाया होने पर क्य मूल्य के आधार पर केन/केट की राशि की वसूली हेतु वितरक का चैक संघ द्वारा अपने बैंक खाते में लगाया जावेगा एवम् तदोपरान्त यह राशि वापिस नहीं की जावेगी। वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक को प्रदाय की गई समस्त केट/केन उसी दिन प्राप्त कर दुग्ध संयंत्र में जमा करानी होगी एवम् नैरोलाईन वितरक से प्रत्येक 15 दिवस के अंदर केन/केटस का मिलान करना होगा। प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में लेखा—जोखा की एक प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना होगी। वितरक सह परिवहनकर्ता को मार्ग के नैरोलाईन वितरक द्वारा माह में कम जमा की गई केट/केन की जानकारी का पत्रक अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर दुग्ध संघ को देना आवश्यक होगा।

- 30—वितरक सह परिवहनकर्ता शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण — रूपेण जबाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय—समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में सम्बन्धित समस्त कानूनी कार्यवाही वितरक के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही के लिये दुग्ध संघ उत्तरदायी नहीं होगा।
- 31—वितरक सह परिवहनकर्ता अपने मार्ग पर यदि कोई नई एजेन्सी या विक्रय केन्द्र खोलना चाहता है तो उसकी लिखित सूचना उसे दुग्ध संघ को देना होगी।
- 32—वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग के बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य को प्रदाय किये गये दूध की राशि प्रतिदिन संग्रहण करने का दायित्व स्वयं वितरक सह परिवहनकर्ता का होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेन्सी/अन्य के द्वारा किसी भी भुगतान के लिए दुग्ध संघ जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी बूथ/पार्लर/एजेन्सी द्वारा प्रदायित माल की राशि न देने पर दूध बन्द करने की जानकारी वितरक द्वारा संघ को पूर्व में देना होगी। वितरक को विक्रय केन्द्रों द्वारा जमा की जाने वाली दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की राशि की पावती तत्काल विक्रय केन्द्र प्रभारी को देना अनिवार्य होगा।
- 33—वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा आवंटित मार्ग के विक्रय केन्द्रों को ही दूध एवं दुग्ध प्रदायगी की जायेगी। दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को आवंटित मार्ग/क्षेत्र में विक्रय वृद्धि हेतु समय—समय पर जो लक्ष्य दिये जावेंगे उनकी प्राप्ति सुनिश्चित करना वितरक सह परिवहनकर्ता के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबन्ध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता बाध्य होगा।
- 34—दुग्ध संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता को समय—समय पर दुग्ध विक्रय प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु वितरक सह परिवहनकर्ता बाध्य होगा एवं यदि दुग्ध संघ यह पाता है कि वितरक विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या समय—समय पर दिये गए दिशा—निर्देशों का, जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिये आवश्यक हैं, का पालन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ अपने व्यावसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये इस अनुबन्ध की कंडिका क्रमांक 01 व 33 के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
- 35—वितरक द्वारा वितरण वाहन मे केवल सांची दूध एवम् दुग्ध पदार्थों का परिवहन एवम् वितरण किया जावेगा। वितरण वाहन मे किसी अन्य सामग्री, प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड के दूध एवम् दुग्ध पदार्थ एवम् प्रतिबंधित वस्तु का परिवहन नहीं किया जावेगा। उपरोक्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक शिप निरस्त कर सकेगा तथा उसकी जमानत राशि राजसात कर सकेगा।
- 36—वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं एजेन्टो के बीच उठे विवादों को वितरक सह परिवहनकर्ता अपनी उपस्थिति में शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करेगा ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
- 37—वितरक सह—परिवहनकर्ता एवम् नैरोलाईन वितरक के बीच किसी भी विवाद को दोनों पक्ष शांति पूर्वक सुलझाने की कोशिश करेंगे। विवाद ना सुलझने पर यह विवाद आर्बोटेंशन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर अथवा उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति को संदर्भित किया जावेगा एवम् उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों का मान्य एवम् बन्धनकारी होगा।

- 38— संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत् लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य वितरक सह परिवहनकर्ता अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा । ऐसे व्यक्ति का संघ संयंत्र परिसर में प्रवेश वर्जित होगा । इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर वितरक सह— परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन बिना नोटिस के दिये, निरस्त करने हेतु पूर्ण— रूपेण संघ स्वतन्त्र होगा ।
- 39— वितरक सह परिवहनकर्ता से जो भी राशि वसूली किया जाना अनुबन्ध की शर्तों में प्रस्तावित है, की वसूली वितरक सह परिवहनकर्ता से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि में से समायोजन कर वसूल की जावेगी ।
- 40— वितरक सह—परिवहनकर्ता को आवंटित कार्य किसी अन्य को वितरक सह परिवहनकर्ता हस्तान्तरित (Sublet) नहीं करेगा । ऐसा करते पाये जाने पर दुग्ध संघ बिना कोई नोटिस दिये वितरक सह—परिवहनकर्ता का कार्य आवंटन निरस्त कर सकेगा तथा उसकी Security Deposite राजसात कर सकेगा ।
- 41— दुग्ध संघ सम्बन्धित मार्ग/क्षेत्र स्थित संस्थाओं को सांची दुग्ध वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से वितरण करेगा, जिसकी आवश्यक पावती आदि प्राप्त करने की पूर्ण जबाबदारी वितरक सह परिवहनकर्ता की होगी । संस्थाओं में प्रदाय किये गये दूध एवम् दुग्ध पदार्थों का परिवहन देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा । संस्थाओं को प्रदाय किये जाने वाले दूध की मात्रा पर केवल परिवहन व्यय देय होगा इस हेतु वितरक मार्जिन प्रदाय नहीं किया जावेगा । दुग्ध संघ द्वारा संस्था को प्रदाय की गई मात्रा से संस्था द्वारा पावती कम प्राप्त होने पर कम प्रदाय किये गये दूध की राशि का कटौत्रा वितरक सह परिवहनकर्ता से किया जावेगा ।
- 42— वितरक सह परिवहनकर्ता प्रतिमाह आवश्यकतानुसार मार्ग के समस्त विक्रय केन्द्र के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनको प्रदाय की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा—जोखा उपलब्ध करवायेगा तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावेगा ।
- 43— संघ द्वारा वितरक सह परिवहनकर्ता के मार्ग पर निर्धारित किये गये दुग्ध विक्रय केन्द्रों पर वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा नियमित रूप से दूध प्रदाय किया जावेगा । यदि किसी कारण वश वितरक सह परिवहनकर्ता किसी दुग्ध वितरण केन्द्र पर दूध प्रदाय बंद करने हेतु बाध्य होता है, तो उसे सम्पूर्ण प्रकरण लिखित में दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा दुग्ध संघ के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर ही दुग्ध प्रदाय सम्बन्धित दुग्ध विक्रय केन्द्र पर बंद कर सकेगा । यदि वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा बिना संघ की अनुमति के किसी दुग्ध विक्रय केन्द्र पर दुग्ध प्रदाय बंद किया जाता है तो रूपये 200/- (रु. दो सौ) प्रति दिन प्रति विक्रय केन्द्र के हिसाब से वितरक को परिवहन प्रतिपूर्ति स्वरूप राशि संघ वसूल सकेगा ।
- 44— वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने मार्ग के समस्त दुग्ध विक्रय केन्द्रों एवं शासकीय संस्थाओं आदि से आगामी मांग हेतु निर्धारित चालान संघ में नियमित रूप से जमा करने होंगे ।
- 45— यह कि वितरक सह परिवहनकर्ता को अपने वाहन से दूध एवम् दूग्ध पदार्थ के पैकेट्स एवं क्रेट/केन भरकर उतनी मात्रा में ले जावेगे जितनी की शीट चालान में दर्शाई गई हैं यदि निर्धारित मात्रा से अधिक दूध वाहन में पाया जाता जाता है तो प्रति पैकेट एवम् क्रेट/केन के मूल्य की पचास गुना तक राशि अर्थदण्ड स्वरूप काटी जावेगी दूसरी बार पुनरावृत्ति होने पर ठेका समाप्त कर Security Deposite राजसात कर ली जावेगी ।

-7-

- 46—अनुबन्धित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के सम्बन्ध में आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिया में अन्तर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
- 47—संघ द्वारा समय — समय पर जो भी निर्देश वितरकों को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगे वे पत्र / परिपत्र अनुबन्ध के भाग माने जावेगे ।
- 48—वितरक सह परिवहनकर्ता को दूध की एक मुश्त प्रदायगी उपरान्त वितरक द्वारा रुट शीट प्रति डिपो/पार्लर/एजेन्सी/संस्था वाईज तैयार करदूध वितरण शीट की एक प्रति विपणन शाखा गोलाका मंदिर कार्यालय में प्रतिदिन दोनों पारियों हेतु उपलब्ध कराई जावेगी । वितरक सह परिवहनकर्ता द्वारा प्रत्येक विक्रय केन्द्र को प्रदाय की गई दूध एवम् दुग्ध पदार्थ की मात्रा का चालान साथ में देना अनिवार्य है । ऐसा ना करने पर रु. 500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन का अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा ।
- 49—यह कि अनुबन्धित अवधि में डीजल की दरों में जो भी वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार वितरक सह परिवहनकर्ता की स्वीकृत परिवहन दरों में वृद्धि/कमी समानुपातिक दर से की जा सकेगी । इस हेतु मार्ग की दूरी जो निविदा में वर्णित हैं, वाहन का प्रकार टाटा 407 औसतन 10 किलो मीटर प्रति लीटर टाटा 608/709 आयशर औसतन 8 किलो मीटर तथा महेन्द्रा पिकअप/समकक्ष औसतन 12 किलो मीटर के आधार पर गणना की जावेगी ।
- 50—यह अनुबन्ध तीन वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगा । दुग्ध संघ द्वारा वितरक सहपरिवहनकर्ता का कार्य तीन वर्ष की अवधि में संतोषप्रद पाये जाने पर अनुबन्ध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक—एक वर्ष करके अधिकतम दो वर्ष हेतु और बढ़ाई जा सकेगी ।
- 51—वितरक की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित नियमों का पालन करने हेतु सहमति देता है । उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है ।
- 52—अनुबंध की शर्तों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में विवाद को निर्णयार्थ आर्बिट्रेटर को सौंपा जा सकेगा । आर्बिट्रेटर उभयपक्षों की सहमति से अथवा Arbitration Act अनुसार निर्धारित किया जावेगा व आर्बिट्रेटर का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा जो कि अन्तिम होगा ।
- 53—इस अनुबंध का न्यायालिक कार्य क्षेत्र ग्वालियर शहर के न्यायालय में रहेगा । यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं वितरक सह—परिवहनकर्ता की आपसी रजामंदी के तहत दिनांक..... को निष्पादिक किया गया है । अन्तर्गत विषयों के सम्बन्धित उभय पक्षों के मध्य विवादों के सम्बन्ध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियमों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय को होगा एवम् न्यायालीन क्षेत्र अधिकार ग्वालियर होगा ।

-8-

मैं पिता/पति/पत्नी वितरक सह-परिवहनकर्ता
 मार्ग क्रमांक अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती निवासी ...
 को घोषित करता/करती हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा संतोषप्रद कार्य करने पर “नोड्यूज” प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के देयकों की वसूली उपरान्त प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि व बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी। अनुबंध की किसी भी कण्डिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष में यह अनुबंध पत्र की शर्त एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से सम्पादित किया है, जो प्रमाण रहे एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

वितरक सह-परिवहनकर्ता

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 ग्वालियर सहकारी दुर्गंध संघ मर्यादित, ग्वालियर

नाम
 पता

 मोबाइल नम्बर.....

1. गवाह के हस्ताक्षर
 नाम एवं पता.....

.....

प्रभारी विपणन

ग्वालियर सहकारी दुर्गंध संघ मर्यादित,

2. गवाह के हस्ताक्षर

ग्वालियर

नाम एवं पता.....

—9—

दुर्घ संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— ग्वालियर दुर्घ संघ द्वारा ग्वालियर शहर में सॉची दुर्घ वितरक सह—परिवहनकर्ता की नियुक्ति हेतु निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा ग्वालियर शहर में सॉची दुर्घ वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु मार्ग क्रमांकके लिए निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं ग्वालियर दुर्घ संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुर्घ संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या परिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक..... ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

-10-

वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
 (रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
 पिता —
 आयु —
 निवासी —

1— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर शहर में सॉची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता हेतु मार्ग क्रमांकके लिए मेरे द्वारा ई—निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार नवीन/अनुबंधित/वर्ष 2016 के बाद का इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूं अन्यथा मेरा आवेदन अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक.....ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

-11-

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम	—
पिता	—
आयु	—
निवासी	—

1— मेरे द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर शहर मार्ग कमांकहेतु साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता ई—निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मीनेट अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक.....ग्वालियर हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

-12-

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —

पिता —

आयु —

निवासी —

1— ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर शहर मार्ग क्रमांक हेतु साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता ई—निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

-13-

**एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघ से व्यवसाय की कोई भी राशि, मिल्क केन/केट बकाया
नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप**

(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर नोटराईज्ड कराना है।)

नाम —
 पिता —
 आयु —
 निवासी —

1— मेरे द्वारा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर द्वारा आमंत्रित ग्वालियर शहर मार्ग कमांक हेतु साँची दुग्ध वितरक सह—परिवहनकर्ता ई—निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मुझ पर एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ के साथ व्यवसाय की कोई भी राशि, मिल्क केन/केट मुझ पर बकाया नहीं है।

इति दिनांक..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत सम्पूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक..... ग्वालियर

हस्ताक्षर शपथग्रहिता.....

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर
गोला का मंदिर, ग्वालियर
ग्वालियर दुग्ध वितरण मार्ग क्रमांक 05

क्रमांक	डिपो/पार्लर/एजेन्सी का नाम	दूध विक्रय मात्रा लीटर प्रतिदिन (लगभग)
01	रोशनीघर एजेन्सी	141
02	खासगी बाजार डिपो	8
03	महावीर किराना एजेन्सी	1180
04	नेहा डेयरी	54
05	रॉक्सी टॉकीज	31
06	पाटनकर बाजार	24
07	हाईकोर्ट पार्लर	200
08	गणेश दुध केन्द्र	34
09	कम्पू चौराहा पार्लर	27
10	कैलाश टॉकीज लकड़खाना	—
11	डॉ. कमल किशोर चौराहा डिपो	80
12	नया बजार डिपो	48
13	दर्जी ओली डिपो	57
14	आर.के.इलेक्ट्रीकल्स एजेन्सी	52
15	हनुमान चौराहा डिपो	14
16	साहू किराना	36
17	राम मंदिर चौराहा	18
18	जी.व्हाय.एम.सी. क्लब	28
19	लकड़खाना पुल	35
20	गांधी मार्केट	10
21	रावत	68
22	प्रसूति गृह	05
	योग :-	2150

प्रतिभूति राशि संघ के बैंक खाते में या डी.डी. द्वारा रु. 2,00,000/- (रु. दो लाख) तथा ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर के संयुक्त नाम की हस्ताक्षरित फिक्स डिपोजिट रु. 3,00,000/- (रु. तीन लाख) बतौर प्रतिभूति राशि जमा करना होगी ।